(3)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 104/2018 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा इन्दिरा मार्केट भीलवाड़ा

बनाम

1.मै0 आर.डी.डेनिम(पूर्व मै0 शान्ति सुल्ज प्रा0लि0) प्रो0 श्री अंकित पिता अनिल बांगड़ एवं श्री अंकुर माहेश्वरी पिता अनिल बांगड़ श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ भीलवाड़ा
2.श्री अनिल कुमार माहेश्वरी पिता त्रिलोकचन्द बांगड नि0 प्लॉट नं0 जी–43 फेज 1–II रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बिलिया भीलवाड़ा
द्वितीय पक्ष–महिला आश्रम स्कूल के पास, शारदा कॉलोनी भीलवाड़ा

–– प्रार्थी

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित :– श्री विनोद कुमार चौहान प्रार्थी अधिवक्ता

आदेश

दिनांक : 27/06/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, इन्दिरा मार्केट भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, व 02 को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर औद्योगिक क्षैत्र बिलिया प्रथम एवं द्वितीय फेज भीलवाड़ा में स्थित भूखण्ड संख्या जी–43 नपती 1245 वर्गमीटर की लीज मै0 पाटोदी टेक्सटाइल पार्टनर श्री नरेश कुमार पिता ज्ञानमल पाटोदी वगैरह के नाम 99 वर्ष की लीज दिनांक 02.03.1981 से आवंटित हुई जिसे पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 05.03.2004 से मै0 शान्ति सुल्ज प्रा0लि0 भीलवाड़ा प्रो0 श्री नवरतनमल पिता शोभालाल बणूट वगैरह को हस्तान्तरित की जो वर्तमान में मै0 आर.डी.डेनिम के नाम से है। जो अप्रार्थी प्रो0 श्री अंकित पिता अनिल बांगड़ एवं श्री अंकुर माहेश्वरी पिता अनिल बांगड़ श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ भीलवाड़ा के स्वामित्व की है।
नगरविकास न्यास, भीलवाड़ा के द्वारा ग्राम केवाड़ा में आराजी नम्बर 8, 9, 18 में भूखण्ड संख्या 17/8, 9, 18 साईज 30 गुणा 50 कुल 166.66 वर्गगज का श्री

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

(4)

सुजानमल , रोशनलाल पिता बालूराम पानगड़िया को आदेश क्रमांक 15035 दिनांक 21.05.2011 आदेश क्रमांक 3560 दिनांक 03.06.2016 से आवंटन कर पत्रांक 1981 दिनांक 18.06.2011 से नियमन किया जिसे पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 02.05.2016 से श्रीमती रींकू धर्मपत्नि अंकित बांगड़ नि0 शारदा कॉलोनी, महिला आश्रम के पास, भीलवाड़ा को तथा नगरविकास न्यास, भीलवाड़ा के द्वारा ग्राम केवाड़ा में आराजी नम्बर 3, 9, में भूखण्ड संख्या 18/8, 9, साईज 30 गुणा 50 कुल 166.66 वर्गगज का श्री सुजानमल , रोशनलाल पिता बालूराम पानगड़िया को आदेश क्रमांक 3560 दिनांक 03.06.2016 को आवंटन कर पत्रांक 1982 दिनांक 28.06.2011 से नियमन किया जिसे पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 02.05.2016 से श्रीमती रींकू धर्मपत्नि अंकित बांगड़ नि0 शारदा कॉलोनी, महिला आश्रम के पास, भीलवाड़ा को, तथा नगरविकास न्यास, भीलवाड़ा के द्वारा ग्राम केवाड़ा में आराजी नम्बर 103,104,141 से 156, 785/179 पर योजना मे भूखण्ड संख्या 79 साईज 30 गुणा 50 नपती 166.66 वर्गगज का श्री ओमप्रकाश पिता सुखदेव खटीक, श्री रामनिवास, मुकेश, सुनील पिता ओमप्रकाश खटीक को आदेश क्रमांक 783 दिनांक 21.12.2015 से आवंटन किया जिसे पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 18.05.2007 से श्री शांतिलाल पिता सोहनलाल लोढा को एवं शान्तिलाल लोढा ने श्रीमती चन्दा पत्नि जगदीशचन्द्र कोठारी नि0 भीलवाड़ा को एवं श्रीमती चंदा पत्नि जगदीशचन्द्र कोठारी ने पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14.07.2015 से श्रीमती रींकू बांगड़ धर्मपत्नि अंकित बांगड़ भीलवाड़ा को विक्रय किया। उपखण्ड अधिकारी भू0रू0भीलवाड़ा की पत्रावली संख्या 1623/82 दिनांक 15.11.1984 से श्री कैलाशचन्द्र पिता सीताराम मानसिंहका भीलवाड़ा के नाम पर महिला आश्रम के पीछे 25 गुणा 45 फीट का 99 वर्ष की लीज पर आवासीय भूखण्ड संपरिवर्तित को श्रीमती भगवती देवी धर्मपत्नि श्री जगदीश मेलाणा नि0 भीलवाड़ा को पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 31.01.1995 को विक्रया किया। उक्त भूखण्ड को श्रीमती भगवती देवी मेलाणा ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.04.2006 से श्री त्रिलोकचन्द पिता तेजमल बांगड़(माहेश्वरी) निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा को विक्रय किया। श्री त्रिलोकचन्द पिता तेजमल बांगड़(माहेश्वरी) ने उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीबद्ध बक्षीस पत्र दिनांक 23.11.2011 से श्री अनिल कुमार माहेश्वरी पिता त्रिलोकचंद बांगड़(माहेश्वरी) भीलवाड़ा को बक्षीस की गई। इस प्रकार मै0आर.डी.डेनिम(पूर्व मै0 शान्ति सुल्ज प्रा0लि0) प्रो0 श्री अंकित पिता अनिल बांगड़ एवं श्री अंकुर माहेश्वरी पिता अनिल बांगड़ श्रीमती रिंकू पत्नि अंकित बांगड़ भीलवाड़ा के द्वारा औद्योगिक क्षैत्र बिलिया के प्रथम एवं द्वितीय फेज में स्थित भूखण्ड संख्या जी–43 की औद्योगिक भूमि एवं भवन को अप्रार्थीया श्रीमती रींकू पत्नि अंकित बांगड़ के ग्राम केवाड़ा में स्वामित्व के भूखण्ड सं0 17, 18 एवं चित्रकूट के सामने स्थित भूखण्ड सं0 79 को तथा अप्रार्थी सं0 2 श्री अनिल कुमार पिता त्रिलोकचन्द बांग के स्वामित्व का महिला आश्रम के पीछे स्थित आवासीय संपरिवर्तित भूखण्ड को एवं इन पर किए गए निर्माण सहित एवं समस्त प्रकार के अधिकारों सहित इनके द्वारा रहन रखा गया । अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:--

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 3' के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा